कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः— शिविरा/प्रारं/शि.संस्था/एफ—4/विदेश यात्रा/1260/2018 **दिनांक—14.09.18**

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा,
अलवर।

रजिस्टर्ड/ईमेल

विषयः—श्रीमती सुशीला कुमारी गांधी, अध्यापिका राउप्रावि मालाखेड़ा गेट, अलवर को विदेश यात्रा की अनुमति बाबत।

प्रसंगः—आपका पत्रांक जिशिअ/प्राशि/अल/संस्था—3/फा—सामान्य/2018/2952 दिनांक 12.09.18

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है, कि श्रीमती सुशीला कुमारी गांधी, अध्यापिका राउप्रावि मालाखेड़ा गेट, अलवर जिनकी प्रथम नियुक्ति दिनांक 31.12.1985 है तथा राज्य सेवा मे स्थाई रुप से कार्यरत है, को दिनांक 21.**09.18 से 19.10.2018** तक की अवधि में **मलेशिया** हेतु विदेश यात्रा की अनुमति निम्नांकित शर्तो के तहत प्रदान की जाती है:—

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नही करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिये प्रथम बार मे आवेदित अवकाश मे किसी प्रकार की वृद्धि निदेशालय की अनुमति के बिना स्वीकृत नही होगी। निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नही आने पर सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
3. विदेश मे किसी प्रकार का अध्ययन नही करेंगे।
4. विदेश से भेजा गया त्याग पत्र स्वीकृत नही किया जाएगा।
5. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नही किया जायेगा एवं नां ही राजकीय स्त्रोत से कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
6. विदेश प्रस्थान से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत पश्चात ही प्रस्थान करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नही करेंगे।
8. विदेश प्रवास के दौरान जहॉ—जहॉ पर रहेंगे उनके पतों से इस विभाग को तुरन्त अवगत कराऐंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्च स्वयं के द्वारा वहन किया जाएगा।
10. विदेश यात्रा अवधि मे शाला मे अध्ययन कार्य बाधित नही होना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थः—
1. श्रीमती सुशीला कुमारी गांधी, अध्यापिका राउप्रावि मालाखेड़ा गेट, अलवर
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर